Shri Bhagwat Jha Azad: May I know whether they complained of inhuman treatment after their release, that is, after they were returned to us?

Shri Dinesh Singh: No, Sir; there was no complaint of any inhuman treatment.

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, कुल कितने दिनों तक हमारे अफसरान और सैनिकों को उनकी कैद में रहना पड़ा और क्या उसके लिय कोई मुआविज़ा की भी मांग की गई है ?

श्री दिनेश सिंह : यह तो इसी जवाब से ज़ाहिर हो गया है कि सितम्बर की १८ तारीख को वे पकड़े गये थे और अक्तूबर की ८ और ९ तारीख को वे छोड़े गये ।

Shri Harish Chandra Mathur: May I know if, in the light of the present emergency in particular, any particular steps are being taken to avoid such ugly incidents which definitely go to worsen the relations?

Shri Dinesh Singh: We do not provoke these incidents and we are constantly taking care that there should be no such incidents.

Shri Harish Chandra Mathur: It is not that we support it. I think, my question has been completely misunderstood.

Mr. Speaker: What should this Government do? This Government has not done anything in that respect so that these things should recur.

Shri Harish Chandra Mathur: The ball lies in their court; the fault lies with them. They had detained our officers for more than 15 days.

Mr. Speaker: What should this Government do?

Shri Harish Chandra Mathur: So, I wanted to know whether in view of this emergency the Government has taken it up with the Pakistan Government, more particularly because it is the Pakistan Government which is to blame for this.

The Prime Minister and Minister of External Affairs, Defence and Atomic Energy (Shri Jawaharlal Nehru): Every such incident is taken up with the Pakistan Government. Our general desire is that we have to avoid incidents and to have a peaceful frontier and good relations with Pakistan. In these matters there is a procedure or ground rules laid down. That procedure was followed and as a result of that these people were released.

श्री प० ला० बारूपाल : क्या सरकार के पास कोई ऐसी भी सूचना आई है कि पाकिस्तान में पनाह लेने वाले भारतीय डाकुओं और पाकिस्तानी डाकुओं ने मिल कर गत सप्ताह बीकानेर जिले में कोई १०, १२ डाके डाले हैं और भारतीय इलाके से २१ ऊंट पाकिस्तान ले गये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल तो इण्डियन नेशनल्स के बारे में है ।

श्री यशपाल सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसके लिये पाकिस्तान सरकार से, कोई हरजाना मांगा गया है और आगे इस तरह की घटनाएं न हों क्या इसके लिये आवश्यक सावधानी बर्त्ती गई है ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो सवाल हो चुका ।

अश्लील फिल्म पोस्टर

\+

*२४९. { **श्री भक्त दर्शन** :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री २७ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ६२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अश्लील फिल्म पोस्टरों की जांच के लिये नियुक्त समिति ने इस बीच और क्या प्रगति की है ।

(ख) कलकत्ता तथा अन्य फिल्म निर्माण केन्द्रों में भी ऐसी समितियां स्थापित करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इस समिति को जिस उद्देश्य से नियुक्त किया गया था, उसकी अब तक कहां तक पूर्ति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) समिति की ५ बैठकें और हुई हैं और उसने ११ फिल्म पोस्टरों की, जो उसके सामने पेश हुए थे, जांच की और उन्हें एप्रूव किया ।

(ख) दूसरे फिल्म निर्माण केन्द्रों में ऐसी ही समितियां स्थापित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) इतनी जल्दी कोई राय कायम नहीं की जा सकती परन्तु समिति का पोस्टर प्रोड्यूसर्स पर अच्छा प्रभाव पड़ रहा है ।

(a) The Committee has held 5 more meetings and examined and approved 11 more film posters presented to them.

(b) There is no proposal, at present, to constitute similar Committees in other film producing centres.

(c) It is early to hazard and opinion but the committee is having good effect on the poster producers.

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान् कमेटी के कार्य से ऐसा मालूम पड़ता है कि यह बड़े इत्मीनान और नजाकत के साथ अपना काम कर रही है । ऐसी हालत में क्या इसमें कुछ तेजी लाने की कोशिश की जाएगी ?

श्री शाम नाथ : मैं समझता हूं कि यह कहना सही नहीं है कि कमेटी ने अपने काम में कोई देरी की है । यह कमेटी जनवरी में मुकर्रर हुई थी और उसके बाद कुछ जो प्रिलिमनरी चीजें थीं, उन पर गौर करने के के बाद इस कमेटी ने कई मीटिंगें कीं और उनमें जो पोस्टर वगैरह पेश हुए उनको देखा और जो कुछ मोडिफिकेशन्स वगैरह उसने मुनासिब समझीं, वे तजवीज कीं ।

श्री भक्त दर्शन : मेरे प्रश्न के 'ख' खंड के उत्तर में बताया गया है कि कलकत्ता या दूसरे स्थानों में जहां फिल्में बनती हैं, इस तरह की कोई समिति नियुक्त करने का विचार नहीं है । पर कमेटी की जब बम्बई में स्थापना की जा सकती है तो और जगहों पर क्यों नहीं की जा सकती है ?

श्री शाम नाथ : इसकी वजह यह है कि १९५९ में बंगाल गवर्नमेंट ने अपनी एक कमेटी बनाई थी । क्योंकि बम्बई में अभी हमने कमेटी बनाई है, इसलिये उसके काम को देखने के बाद फैसला किया जाएगा कि आया इस तरह की कमेटियां और सेंटर्ज में भी कारामद साबित हो सकती हैं या नहीं ।

Shri Bhagwat Jha Azad: Since the efforts of this committee according to the Government are laudable, may I know if there is any definite decrease in the display of such posters?

Shri Sham Nath: Yes; there is a significant improvement.

Shri D. C. Sharma: May I know what definition this committee has arrived at so far as obscene posters are concerned? What are the grounds for declaring a poster as obscene?

Shri Sham Nath: Posters which are offensive to the public taste or sentiment or are obscene or vulgar are rejected by this committee.

Shri Joachim Alva: It is not a question of banning the present posters which have already been printed. Has the Committee given any suggestion to the Government by which the posters can be banned in future which the Government will implement?

Shri Sham Nath: The Government has no powers at present to ban posters like that. The purpose of the Committee was to do something with a view to curb the tendency of bringing out indecent and vulgar posters by getting the voluntary co-operation of the producers. I think the producers are co-operating in this work.

Shri A. P. Jain: In reply to part (c) the hon. Minister said that the Committee has served a useful purpose. Part (b) refers to Calcutta and other film producing centres. The Minister has given reasons for Calcutta. Why has he not set up similar committees for other similar producing centres?

An Hon. Member: Madras.

Shri Sham Nath: As I have just now said, we are watching the work of this Bombay committee. As far as Madras is concerned, we have not received any complaint in regard to any obscene posters.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : यह जो जांच समिति मन्त्रालय ने बनाई है, इसके सदस्य कौन कौन हैं और क्या मन्त्रालय ने उसको इस प्रकार के कोई निर्देश दिये हैं कि इतने समय में वह अपने जांच कार्य को समाप्त कर ले ?

श्री शाम नाथ : इस कमेटी के छः मेम्बर हैं । जो कण्ट्रोलर आफ फिल्म डिवीज़न हैं, वह इस के चेयरमैन हैं । मि० महबूब खां, मि० जे० पी० एच० वाडिया, मि० विजय भट्ट, मि० बी० आर० चोपड़ा और श्री के० एम० मोदी, इसके मैम्बर हैं ।

An Hon. Member: All producers?

Shri Sham Nath: Yes Sir, five producers are its members and the Controller of the Films Division is the Chairman of the Committee.

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : हमारे नवयुवकों और नवयुवतियों के आचरण के ऊपर दुष्प्रभाव डालने वाले जो पोस्टर हैं, क्या उनके ऊपर कड़ाई से प्रतिबन्ध लगाने का सरकार का विचार है ?

Shri Sham Nath: This was the very purpose for which this committee was appointed.

श्री यशपाल सिंह : कैपिटल को कलंकित करने वाले जो अश्लील चित्र हैं, उनकी रोक थाम करने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री शाम नाथ : कैपीटल का जहां तक ताल्लुक है, दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन के कमिशनर को इस सिलसिले में पूरा अखत्यार हैं और कारपोरेशन की हदूद के अन्दर जो पोस्टर वगैरह लगते हैं कानून के मातहत उनकी जांच पड़ताल की जाती है ।

Shrimati Savitri Nigam: In his reply the hon. Minister said that 12 posters have been examined by this committee so far. I would like to know whether this 12 was the number given to it or a larger number of posters were given, but only 12 have been examined. And the other point I want to know is.....

Mr. Speaker: Only one point she might know in one question.

Shri Sham Nath: I did not say that only 12 posters were placed before this committee. I said that the committee has held so far 9 meetings and approved 17 posters. It is just possible that many more posters may have been submitted, to the Committee.

Sarpanches as Claims Commissioners

*250. **Shri P. R. Chakraverti:** Will the Minister of **Labour and Employment** be pleased to state:

(a) whether the Central Government are in favour of permitting the State Governments to appoint Sarpanches as Claims Commissioners under the Minimum Wages Act;

(b) if so, whether there will be ceiling on claims to be entertained by them;